



घरेलू हिंसा और महिला सशक्तिकरण: भारतीय नीतियों और कार्यक्रमों का विश्लेषण

डॉ प्रितमा देवी

प्राचार्य

विजय कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन गाजियाबाद

संपर्क नंबर: 9758605858

ईमेलआईडी:pritmatyagi91@gmail.com

शोध आलेख: महिला सदैव परिवार और समाज की आधारशिला रही है। वह जीवन को जन्म देती है, उसका पोषण करती है, उसे आकार प्रदान करती है और उसे मजबूत बनाती है। वह परंपरा की संवाहक है और संस्कृति की संरक्षिका है, जिसके माध्यम से जीवन-मूल्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। इसके बावजूद, भारतीय समाज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि महिला, जो सृजन और संवेदनशीलता की प्रतीक है, स्वयं ही घोर अन्याय और उत्पीड़न की शिकार रही है। उम्र, नस्ल, जाति, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति की परवाह किए बिना, महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। विभिन्न रूपों में व्याप्त यह असुरक्षा भारतीय समाज में आम हो चुकी है। महिला की मूक पीड़ा उसे पुरुष वर्चस्व का आसान शिकार बना देती है, जिसे प्रचलित पितृसत्ता का समर्थन प्राप्त है। पुरुष सदस्य की निरंकुश और सत्तावादी प्रवृत्ति महिलाओं के उत्पीड़न को और गंभीर बना देती है। भारत में लगभग हर घर किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा से प्रभावित होता है, जहाँ महिलाएँ बेटी, बहू या पत्नी के रूप में शारीरिक, मानसिक, मौखिक तथा आर्थिक प्रताड़ना झेलती हैं। जबकि मानवाधिकार के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों समान हैं, फिर भी पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। परिणामस्वरूप अधिकांश महिलाएँ अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को समझने व उनका प्रयोग करने में असमर्थ रहती हैं।

स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा न केवल महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है। प्रस्तुत शोधपत्र में भारत में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की स्थिति, उसके विभिन्न रूप, कारण तथा संभावित समाधान पर चर्चा की जाएगी।

संकेत शब्द: भारतीय समाज, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, संस्कृति, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार।

परिचय: घरेलू हिंसा उतना ही पुराना है जितना कि दर्ज इतिहास, जो लगभग हर समाज, हर सभ्यता में रिपोर्ट किया गया है। शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हिंसा की ओर ले जाने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को हर पितृसत्तात्मक समाज के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है। हाल के संदर्भों को छोड़कर, घरेलू हिंसा सामाजिक और कानूनी रूप से स्वीकार्य रही है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ, कानून, कोड, ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं, जिसके भीतर घरेलू हिंसा की अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। महिलाओं की स्थिति पर मुहर लगाने के लिए संयुक्त रूप से दो प्रमुख तत्व हैं, पुरुष प्रभुत्व और महिलाओं को 'संपत्ति' के रूप में पेश करना, जो पुरुषों से संबंधित वस्तु है और दूसरा, एक आदर्श 'रोल मॉडल' के रूप में महिलाओं से अपेक्षाएं एक-दूसरे के अनुरूप होती हैं, इस तरह से कि वह कमजोर हो जाए। और भेदभाव, उत्पीड़न और सभी प्रकार के उत्पीड़न के अधीन हैं और परिणामस्वरूप उन्हें अधीनता के लिए मजबूर किया जाता है।

"महिलाओं के खिलाफ हिंसा पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्ति है, जिसके कारण पुरुषों द्वारा महिलाओं पर वर्चस्व स्थापित किया गया है और उनके खिलाफ भेदभाव किया गया है और महिलाओं की पूर्ण उन्नति को रोका गया है..." घरेलू हिंसा शारीरिक, यौन है या घर में किसी के जीवनसाथी, साथी या परिवार के अन्य सदस्य के प्रति निर्देशित मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार। घरेलू हिंसा तब होती है जब परिवार का कोई सदस्य, साथी या पूर्व-साथी दूसरे पर शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से हावी होने या उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। यह सभी संस्कृतियों में होता है, सभी नस्लों और धर्मों के लोग घरेलू हिंसा के अपराधी हो सकते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा विशेष रूप से अंतरंग साथी की हिंसा है और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं और महिलाओं के मानव अधिकार का उल्लंघन है। 2013 में उपलब्ध आंकड़ों की वैश्विक समीक्षा के अनुसार, दुनिया भर में 35 प्रतिशत महिलाओं ने या तो शारीरिक या यौन अंतरंग साथी हिंसा या गैर-साथी यौन हिंसा का अनुभव किया है। हालाँकि, कुछ राष्ट्रीय हिंसा अध्ययनों से पता चलता है कि 70 प्रतिशत तक महिलाओं ने अपने जीवनकाल में किसी अंतरंग साथी से शारीरिक और यौन हिंसा का अनुभव किया है।

हिंसा का अर्थ: हिंसा शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति या संपत्ति के लिए किसी शारीरिक बल या किसी क्षति या चोट से है। ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी परिभाषित करती है: "हिंसा ऐसे व्यवहार के रूप में है जिसमें शारीरिक बल शामिल है जिसका उद्देश्य किसी को या किसी चीज को चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना या मारना है"।

परिभाषा और अवधारणा:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) हिंसा को परिभाषित करता है –

“शारीरिक बल या शक्ति का जानबूझकर उपयोग, चाहे वह धमकी के रूप में हो या वास्तविक, स्वयं के विरुद्ध, किसी अन्य व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध, जिसके परिणामस्वरूप या तो चोट, मृत्यु, मनोवैज्ञानिक हानि, विकास में रुकावट या अभाव उत्पन्न होता है अथवा होने की संभावना रहती है।”

घरेलू हिंसा इसी व्यापक परिभाषा का एक विशेष रूप है। यह प्रायः परिवार की चारदीवारी के भीतर घटित होती है और अधिकतर मामलों में पुरुषों द्वारा महिलाओं का हिंसक उत्पीड़न इसमें शामिल होता है। यह हिंसा उस घर के सदस्यों द्वारा की जाती है जहाँ महिला निवास करती है – जैसे पति, पति के माता-पिता, भाई-बहन या अन्य सदस्य। चूँकि यह उत्पीड़न बंद दरवाजों के पीछे होता है, इसलिए प्रायः स्वयं पीड़ित महिलाएँ ही सामाजिक दबाव, भय या पारिवारिक मान-सम्मान के कारण इसे स्वीकार नहीं करतीं।

“महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा” का आशय किसी भी ऐसे कृत्य या आचरण से है जो घर की चारदीवारी के भीतर महिला को **शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक अथवा आध्यात्मिक** रूप से पीड़ा पहुँचाने या हानि पहुँचाने की क्षमता रखता हो। यह हिंसा प्रत्यक्ष (शारीरिक आघात, मारपीट) या अप्रत्यक्ष (मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, अपमान, आर्थिक निर्भरता थोपना) किसी भी रूप में हो सकती है।

इस प्रकार घरेलू हिंसा केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह समाज की संरचना, संस्कृति और मूल्य प्रणाली से गहराई से जुड़ी हुई है।

घरेलू हिंसा के कारण : महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के लिए कोई एक कारण नहीं है। अनुसंधान ने विभिन्न कारकों के अंतर-संबंध पर ध्यान केंद्रित किया है जिससे विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में समस्या की हमारी समझ में सुधार होना चाहिए। कई जटिल और परस्पर जुड़े संस्थागत सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों ने महिलाओं को उन पर होने वाली हिंसा के प्रति विशेष रूप से असुरक्षित बनाए रखा है, ये सभी पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्तियाँ हैं। इन असमान शक्ति संबंधों में योगदान देने वाले कारकों में शामिल हैं सामाजिक आर्थिक ताकतें, पारिवारिक संस्था जहाँ शक्ति संबंध लागू होते हैं, महिला कामुकता का डर और उस पर नियंत्रण, पुरुषों की अंतर्निहित श्रेष्ठता में विश्वास, और कानून और सांस्कृतिक प्रतिबंध जो परंपरागत रूप से महिलाओं

और बच्चों को वंचित करते हैं। स्वतंत्र कानूनी और सामाजिक स्थिति। निम्नलिखित कारण हैं जो घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं: सांस्कृतिक, आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005: संविधान के तहत गारंटीकृत महिलाओं के अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम, जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं और संबंधित या प्रासंगिक मामलों के लिए। घरेलू हिंसा की घटना आम तौर पर प्रचलित है लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में काफी हद तक अदृश्य बनी हुई है। वर्तमान में, जहां किसी महिला पर उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की जाती है, यह भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498 ए के तहत एक अपराध है। इसके परिणामस्वरूप, अनुच्छेदों के तहत गारंटीकृत अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून प्रस्तावित किया गया है। संविधान के 14, 15 और 21 में नागरिक कानून के तहत एक उपाय प्रदान करने का प्रावधान है जिसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से पीड़ित होने से बचाना और समाज में घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकना है।

"प्रतिवादी का कोई भी कार्य, चूक या कमीशन या आचरण घरेलू हिंसा माना जाएगा जब यह पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को नुकसान पहुंचाता है या घायल करता है या खतरे में डालता है, चाहे मानसिक या शारीरिक हो या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखता हो। और इसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण और आर्थिक शोषण शामिल है; या किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को मजबूर करने के उद्देश्य से परेशान करता है, नुकसान पहुंचाता है, घायल करता है या खतरे में डालता है; या किसी आचरण से पीड़ित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को धमकी देने का प्रभाव रखता हो; या अन्यथा पीड़ित व्यक्ति को चोट पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।

घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं: इसमें उन महिलाओं को कवर करने का प्रयास किया गया है जो दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रिश्ते में हैं या रही हैं, जहां दोनों पक्ष एक साझा घर में एक साथ रहते हैं और सजातीयता, विवाह या विवाह या गोद लेने की प्रकृति के रिश्ते से संबंधित हैं; इसके अलावा संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी शामिल हैं। प्रस्तावित अधिनियम के तहत वे महिलाएं भी कानूनी सुरक्षा पाने की हकदार हैं जो बहनें, विधवा, मां, एकल महिला हैं या साथ रह रही हैं।

"घरेलू हिंसा" में वास्तविक दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार की धमकी शामिल है जो शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और वित्तीय है। महिला या उसके रिश्तेदारों को दहेज की मांग के माध्यम से परेशान करना भी इस परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक महिला का सुरक्षित आवास का अधिकार है।

अधिनियम महिला को वैवाहिक या संयुक्त घर में रहने का अधिकार प्रदान करता है, चाहे उसके पास घर में कोई अधिकार हो या नहीं। यह अधिकार निवास आदेश द्वारा सुरक्षित है, जो अदालत द्वारा पारित किया जाता है। ये निवास आदेश किसी भी महिला के विरुद्ध पारित नहीं किए जा सकते। अधिनियम के तहत परिकल्पित अन्य राहत अदालत की सुरक्षा आदेश पारित करने की शक्ति है जो दुर्व्यवहार करने वाले को घरेलू हिंसा या किसी अन्य विशिष्ट कार्य में सहायता करने या प्रदर्शन करने, कार्यस्थल या किसी अन्य स्थान पर प्रवेश करने से रोकती है जहां दुर्व्यवहार किया जाता है। पीड़िता के साथ संवाद करने का प्रयास करना, दोनों पक्षों द्वारा उपयोग की गई किसी भी संपत्ति को विभाजित करना और पीड़िता, उसके रिश्तेदारों और अन्य लोगों पर हिंसा करना जो उसे घरेलू हिंसा से सहायता प्रदान करते हैं। अधिनियम महिला को चिकित्सा जांच, कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय आदि के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए संरक्षण अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति प्रदान करता है। अधिनियम में प्रतिवादी द्वारा सुरक्षा आदेश या अस्थायी सुरक्षा आदेश के उल्लंघन को एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है, जिसके लिए एक वर्ष तक की सजा या बीस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसी तरह, संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का पालन न करने या निर्वहन न करने को भी इसी तरह की सजा के साथ अधिनियम के तहत अपराध बनाने की मांग की गई है।

महिलाओं को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के उत्साह में, इस अधिनियम ने विवाहेतर संबंध या अन्य अनैतिक संबंधों को मान्यता और कानूनी दर्जा दिया है, जिन्हें न तो हमारे समाज द्वारा मान्यता दी गई है और न ही हमारे मौजूदा वैवाहिक और दंड कानून द्वारा। अधिनियम पारित करते समय विधायिका ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना तलाक का आधार है। यहां तक कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25, जो क्रमशः लंबित भरण-पोषण और स्थायी गुजारा भत्ता प्रदान करती हैं, कानूनी रूप से विवाहित पति और पत्नी के अलावा किसी भी रिश्ते को मान्यता नहीं देती हैं।

इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, जो व्यापक परिप्रेक्ष्य में पत्नी, बच्चों, पिता और मां को भरण-पोषण देने का प्रावधान करती है, नाजायज संबंध रखने वाले व्यक्तियों को नाजायज बच्चे को छोड़कर भरण-पोषण का दावा करने का हकदार नहीं मानती है। धारा 125(4) विशेष रूप से व्यभिचारी जीवन जीने वाली पत्नी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1) के तहत पति से किसी भी भरण-पोषण का दावा करने से रोकती है।

विधायिका ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि व्यभिचार भी भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत एक अपराध है। इसलिए, जहां एक ओर एक पुरुष पर व्यभिचार के लिए मुकदमा चलाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर उसे उस महिला को गुजारा भत्ता और निवास अधिकार भी देने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिसके साथ उस पर नाजायज संबंध बनाए

रखने का आरोप है। यह प्रावधान वैवाहिक रिश्तों को नष्ट कर देगा जिससे समाज का सामाजिक ताना-बाना खराब हो जाएगा।

इस अधिनियम से पहले आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दंडनीय क्रूरता के अपराध को छोड़कर घरेलू हिंसा को परिभाषित करने वाला कोई व्यापक कानून नहीं था। आलोचकों का मानना है कि हिंसा शब्द की इतनी व्यापक व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 3 में दिए गए 'आर्थिक शोषण' शब्द का अर्थ यह है कि भले ही परिवार का कोई पुरुष सदस्य परिवार की किसी महिला सदस्य के हिस्से यानी चल या अचल संपत्ति का केवल दुरुपयोग करता हो, या उसका निपटान करता हो। घरेलू हिंसा करने के लिए दोषी ठहराया गया। यह अर्थ अधिनियम की भावना और घरेलू हिंसा की मूल अवधारणा के विपरीत है। फिर से अधिनियम वास्तविक दुरुपयोग और दुरुपयोग की धमकी के बीच अंतर नहीं करता है और दुरुपयोग की संभावना को भी समान महत्व देता है। इसके अलावा अधिनियम में निहित भावनात्मक दुर्व्यवहार, अपमान और मौखिक दुर्व्यवहार की धारणा के संबंध में, शर्तें अपने आप में बेहद सापेक्ष और व्यक्तिपरक हैं, अक्सर किसी की मानसिकता पर निर्भर करती हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी दुर्व्यवहार के मामले में पति के पास कोई सहारा नहीं होता है। पत्नी द्वारा किसी भी कारण से किसी भी राशि का भुगतान करने से इनकार करने पर प्रावधान लागू होंगे

इस अधिनियम में मजिस्ट्रेट को गैर-जिम्मेदार शक्तियां सौंपी गई हैं क्योंकि उसे मामले का संज्ञान लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही अपने आदेशों के निष्पादन के लिए संपर्क किए बिना भी पीड़ित महिला के पक्ष में अपने आदेशों को निष्पादित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक अतिरिक्त परेशान करने वाला पहलू यह है कि मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट को न केवल हिंसा की व्यक्तिगत घटना का, बल्कि समग्र परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करना होता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 14 में एक बहुत ही खतरनाक प्रावधान है जिसके तहत मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति को प्रतिवादी और सेवा प्रदाता के किसी भी सदस्य के साथ संयुक्त रूप से परामर्श लेने का आदेश दे सकता है। यह परामर्श के सभी स्वीकृत सिद्धांतों के विरुद्ध है। पीड़ित और दुर्व्यवहार करने वाला एक असमान स्थिति में हैं और उस स्थिति में कोई संयुक्त परामर्श संभव नहीं है। यह केवल असमान पार्टियों को शक्तिहीन करने का कारण बन सकता है। परामर्श अपमानजनक व्यवहार को सुधारने के तरीकों में से एक है और इसलिए, यह उचित है कि दुर्व्यवहार करने वाले को परामर्श दिया जाए, न कि पीड़ित को। पीड़ित को स्वैच्छिक परामर्श लेने की संभावना हो सकती है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 16 मजिस्ट्रेट को कार्यवाही को बंद कमरे में आयोजित करने की अनुमति देती है यदि कार्यवाही में कोई भी पक्ष चाहे तो। लेकिन, कभी-कभी कैमरे की कार्यवाही में प्रतिवादी

के पक्ष में पीड़ित पक्ष को डरा दिया जाता है। यह विशेष रूप से तब होता है जब पीड़ित पक्ष अदालत में एकमात्र महिला होती है जो शत्रुतापूर्ण, उपहास करने वाले मजिस्ट्रेटों, वकीलों, अधिकारियों, पुलिस, पुरुष प्रतिवादी आदि के पूर्ण पुरुष वर्ग का सामना करती है। स्थिति यह है कि इस धारा को बदलने की अनुमति दी जाए- कैमरा तब आगे नहीं बढ़ता जब कोई पक्ष ऐसा चाहता हो, बल्कि केवल तभी आगे बढ़ता है जब पीड़ित पक्ष ऐसा चाहता हो। पीड़ित पक्ष को नैतिक समर्थन के लिए उसकी पसंद के किसी रिश्तेदार/महिला सामाजिक कार्यकर्ता आदि को साथ ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अधिनियम कुछ आदेशों के अनुपालन न होने के बारे में मौन है। इससे भविष्य में सुलह की संभावना बंद हो जाती है। इसका प्रमुख अनुचित निहितार्थ यह होगा कि इससे भविष्य में मेल-मिलाप की संभावनाएँ बंद हो जाएँगी। एक ओर, यह अधिनियम एक पुरुष को अपनी पत्नी को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए दंडित करता है, वहीं दूसरी ओर यह उसी पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करता है। लेकिन कानून किसी भी समान परिस्थिति में किसी पुरुष को ऐसे किसी उपाय का प्रावधान नहीं करता है।

अधिनियम के तहत, जब कोई चश्मदीद गवाह उपलब्ध नहीं होता है, तो महिला प्राथमिक गवाह होगी और मामले के तथ्यों पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसके बयान को परिस्थितिजन्य साक्ष्य माना जाता है। इसने वस्तुतः सभी महिलाओं को अपनी इच्छानुसार पुरुषों को दंडित करने का अधिकार दे दिया है। इस कानून का ढीला मसौदा तैयार करने से चालाक और बेईमान महिलाओं को केवल अपने इशारे पर अपने किसी भी पुरुष रिश्तेदार को सबक सिखाने की इजाजत मिल जाएगी।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अधिनियम भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक कानून है और भारत के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इसका स्वागत किया है, फिर भी लोगों के मन में निर्दोष पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अधिनियम के दुरुपयोग की आशंका है। निश्चित तौर पर सामान्य तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि हर तरह की परेशानियाँ और यातनाएँ और मतभेद हमेशा पति और ससुराल पक्ष की ओर से ही पैदा होते हैं। विवाहित महिला को सभी मामलों में न्यायपूर्ण और निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। इस अधिनियम का कई मामलों में दुरुपयोग किया जा रहा है, जहाँ पत्नियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा निर्दोष पति और उनके रिश्तेदारों को अनावश्यक उत्पीड़न में डालने के लिए इसे एक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने से पहले, संबंधित पक्षों और अधिकारियों को आवेदन के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए, ताकि निर्दोष व्यक्तियों और उनके परिवारों को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

सुझाव:

1. भारत में घरेलू हिंसा की समस्या को वास्तविक अर्थों में समझने की आवश्यकता है। इसके पीछे के कारण को समझने के लिए कि क्यों महिलाएं असुरक्षित हो जाती हैं और खुद को शोषित होने के लिए तैयार कर लेती हैं। के सबसे महिलाएं अशिक्षित हैं और मूक हिंसा का सामना करती हैं और वे समाज में परंपरा के दबाव में भी हैं।
2. पुरुषों और महिलाओं के बीच दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है; भारत में लंबे समय से मूल सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक संरचना रही है जहाँ हम पुरुष प्रधान समाज देख सकते हैं। सत्ता का असमान वितरण हिंसक हमलों का मूल कारण है। हिंसा के उत्पीड़न से उबरने के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच दृष्टिकोण में भी बदलाव होना चाहिए।
3. सार्वजनिक सहमति से कानूनी मानदंडों का आंतरिककरण हमारे देश में घरेलू हिंसा को अभी भी "अंतरपारिवारिक मामला" माना जाता है और इसमें करीबी रिश्तेदारों और बाहरी लोगों और राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। किसी भी कानून के वास्तविक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मजबूत सार्वजनिक सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में स्वीकृति की सुरक्षा से गुजरना पड़ता है।
4. अधिकारियों और हितधारकों के लिए निर्धारित मजबूत कानूनी अधिदेश; अधिकारी और संस्था अधिनियम के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। लैंगिक भेदभाव, पितृसत्तात्मक समाज के पारंपरिक संबंध और पुरुष वर्चस्व को खत्म करने की जरूरत है।
5. लिंग परिप्रेक्ष्य प्रशिक्षण आवश्यक है लिंग परिप्रेक्ष्य प्रशिक्षण कानून द्वारा अनिवार्य होना चाहिए और पितृसत्तात्मक समाज, पुलिस, सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा चिकित्सकों, सुरक्षा अधिकारियों और विशेष रूप से मजिस्ट्रेटों की महत्वपूर्ण मानसिकता को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अक्सर महिलाओं को सलाह देते हैं। हिंसा सहें और "शिकायत करना बंद करें"।
6. मुकदमेबाजी से पहले चरण में विशेषज्ञ द्वारा परामर्श, पीड़ित व्यक्ति को आत्म-सम्मान बहाल करने के लिए परामर्श देना, भावनात्मक समर्थन प्रदान करना और कानूनी कार्यवाही शुरू करने के संबंध में निर्णय लेने में उसकी सहायता करना।

निष्कर्ष: घरेलू हिंसा न केवल दिखाई देती है बल्कि यह भारत में महिलाओं के जीवन का अभिन्न अंग है। उसके साथ हिंसा उसी दिन से शुरू हो जाती है जब उसकी माँ उसके अस्तित्व को गर्भ में धारण कर लेती है और तब से उसके जीवन काल के हर चरण में उसे इस असभ्य समाज में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारे देश में अधिकांश महिलाएं अशिक्षित हैं और उन्हें बुनियादी कानून प्रावधानों के साथ-साथ अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी नहीं है, जिसके कारण वे अधिकांश समय मामले दर्ज नहीं कराती हैं।

वे व्यक्ति जो उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और उनके विरुद्ध अपराध करते हैं। उनके लिए कानून और उस कानून के तहत गारंटीकृत अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी है, लेकिन सबसे गंभीर समस्या यह है कि महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं हैं जो पारंपरिक रीति-रिवाजों के कारण हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा दिए गए कानूनी उपाय पीड़ितों को नहीं मिल पा रहे हैं। परंपरा से बंधे और पुरुष प्रधान कहे जाने वाले हमारे समाज में आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है, जिससे उन्हें चुपचाप हिंसा सहने को मजबूर होना पड़ता है। तथ्य यह है कि भारत में महिलाओं को लिंग विशेष तरीके से मानवाधिकारों के हनन का सामना करना पड़ता है। उसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और कम आंका जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005 ऐसे कानून की दुनिया भर में मांग के जवाब में और महिलाओं के लिए काम करने वाले महिला संगठनों के निरंतर प्रयासों के परिणाम के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया है। यह अधिनियम महिलाओं को अधिकार और सुरक्षा देता है। पीडब्ल्यूडीवीए 2005 से पहले पीड़िता के लिए उपलब्ध उपाय आईपीसी के तहत अपराधी की सजा के रूप में थे, तलाक और भरण-पोषण के नागरिक उपाय उसे अंतिम राहत नहीं दे रहे थे, जो उपाय उपलब्ध थे वे वैवाहिक कार्यवाही से संबंधित थे और साथ ही अदालती कार्यवाही के अनुसार. महिलाओं के लिए वैधानिक प्रावधान और संवैधानिक प्रावधान उपलब्ध थे लेकिन ये प्रावधान अपर्याप्त थे और इसमें सबसे बड़ी समस्या उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी थी जो संविधान महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदान करता है। घरेलू हिंसा नस्ल, जाति, धर्म और वर्ग की सीमाओं से परे है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. ए.एल. कर्टिस, क्रिमिनल वॉयलेंस, लॉजीनटन बुक्स, केन्टुकी, 1974.
2. राम आहूजा, क्राईम अंगेस्ट वुमेन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1937.
3. जी.एल.शर्मा समाजशास्त्र विश्वकोष, यूनिवर्सिटी बुक हाऊस, जयपुर, 2008.
4. राधा कुमार, स्त्री संघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009.
5. राम आहूजा, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2011.
6. माला दीक्षित, "कानून असरदार, व्यवस्था बेकार, दैनिक जागरण, पानीपत 30 दिसम्बर, 2012.
7. योगेश चन्द्र शर्मा एवं गरिमा शर्मा, "महिला पुलिस एवं मानवाधिकार" पैनासीआ इण्टरनेशनल रिसर्च जर्नल, वॉल्यूम-1 (1), जुलाई-सितम्बर, 2013.
8. विवेक राज, "समकालीन भारतीय मुद्दे: समस्या एवं समाधान" सिविल सर्विसेज टाईम्स नई दिल्ली, 2013-14.
9. जी एल.शर्मा, सामाजिक मुद्दे रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015.

10 सुमन मण्डल, भारत में धर्म एवं सामाजिक आन्दोलन, राधा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015.